(b) to (d) During the Ninth Plan period, 800 Exclusive TRYSEM Training Centres (ETTCs) are proposed to be set up in the entire country including North-Eastern States. The Central Govt, would provide Rs. 20.00 lakh or 80% of the project cost whichever is less for each ETTC for meeting the non-recurring cost. A sum of Rs. 14.00 crores has been earmarked for the year 1997-98 for the entire country including North-Eastern states.

Statement

Physical performance (in numbers)

No. States/UTs.	1904-95		1995-%		1996-97	
	Targets	Achievement	Targets	Achieveme		Targets
1. Arunachal	1829	672	1000	1277		1200
2. Assam	8050	9249	9000	10317		9000
3. Manipur	1319	1397	717	117	717	362
4. Meghalaya	1401	50	791	292	0	352
S. Mizoram	592	847	770	692		1200
6. Nagaland	985	977	617	227	720	486
7. Tripura	1881	2680	2500	3838		2000

Financial Performance (in lakhs)

	1994-95		1995-96		1996-97	
	Allocation	Achievements	Allocation	Achievements	Allocation	Achievements
1. Arunachal Pradesh	51.22	16.47	51.22	39.16	51.22	24.87
2. Assam	225.4	214.05	225.4	237.83	225.4	152.08
3. Manipur	36.94	23.141	36.94	15.91	36.94	14.792
4. Meghalaya	39.24	16.8	39.24	10.97	39.24	27.26
5. Mizoram	16.58	25.773	16.58	35.517	16.58	7.892
6. Nagaland	27.58	69.03	27.58	83.05	27.58	15.05
7. Tripura	52.68	55.248	52.68	60.25	52.68	52.65

बाल श्रम कानूनों की प्रभावोत्पादकगता

249. **श्री रामगोपाल यादव**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मौजूदा बाल श्रम कानूनों को अधिक प्रभावोत्पादी बनाने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) ऐसे कानूनों के अधिनियम और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम जिसमें बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन की परिकल्पना की गयी है और उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिक संख्या 465/1986 मे दिनांक 10.12.96 के अपने निर्णय में दिए गए निदेशों के कारण बाल श्रम (प्रतिवेध एंव चिनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता महसूस की गयी थी। 7-8 जुलाई, 1997 को आयोजित राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मलन में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया था। सम्मेलन में इस आधिनियम को और अदिक प्रभावी बनाये जाने के लिए कतिपय सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों में इन्हें शामिल किया गया था कि अपराध को एक संज्ञेय बनाया जाए, शास्तियों को और अधिक कठोर निवारक बनाया जाए तथा बच्चे की आयु के प्रमाण का दायित्व नियोजक पर डाला जाए। संशोधन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिये जाते समय इन सुझों को ध्यान में रखा जा रहा है।